न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 133/2016

वीरपालकौर पत्नी हदीपसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम फूलेवाला तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब) जरिये मुख्तयारआम हरदीपसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम फूलेवाला तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)।

———अपीलार्थी

बनाम

1. कलवंतसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी न्यू कैन्ट रोड़ गली नं. 05 फरीदकोट हाल JEPSPCL SUB DIVISION OFFICE जिला मुक्तसर।
2. नवजोतसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी न्यू कैन्ट रोड़ गली नं. 05 फरीदकोट।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

———रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 23.06.2016

उपस्थितिः–

श्री अशोक छाबड़ा अभिभाषक अपीलांट

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक रेस्पो. 1 व 2

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय **दिनांक :– 31.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा. का.अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर रोही भोजेवाला के खसरा नम्बर 7 की 271–1/3 हिस्सा भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया एवं विकल्प

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में 15000/–रूपये प्रतिबीघा प्रतिफसल नकद प्रतिभूति कायम करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थी सं01 व 2 ने पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उपखंड अधिकारी सूरतगढ ने सुनवाई करने के बाद दिनांक 23.06.2016 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरात हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.04.2013 को निर्मलकौर से खरीद की है एवं खरीद के आधार पर कब्जा अपीलार्थीया का चला आ रहा है। रेस्पो सं. 1 व 2 ने भी ख. नं. 3 की भूमि में से भूमि क्रय की है जिसके आधार पर रेस्पो. 1 व 2 अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीया/अपीलार्थीया औरतजात है एवं पंजाब में निवास करती है जिसका फायदा अप्रार्थीगण उठा रहे है एवं विवादित भूमि पर कब्जा रेस्पो. का है एवं अपीलांट की भूमि का नाजायज लाभ उठा रहे है । ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय में अपीलांट ने वाद एवं धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश किया जो पूर्ण रूप से साबित था फिर भी अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा भूमि क्रय करने से पूर्व से ही रेस्पो. के पास भूमि हिस्से ठेके पर चली आ रही है रेस्पो0 बतौर अतिक्रमी नहीं है। रेस्पो. ने अपीलांट से कब्जा नहीं लिया है। अप्रार्थीगण ने अपीलांट की भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं की है। अपीलार्थी बिना विभाजन के किसी हिस्से पर रिसीवर नियुक्त कराने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया/अपीलार्थीया का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था ऐसी स्थिति में

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध पेशे की है जिसमें अपीलांट द्वारा अपनी कयशुदा विवादित आराजी पर तहसीलदार सूरतगढ को रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा था जो अधी.न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अतः अपीलांट ने जरिये अपील अपनी कृषि भूमि बाबत नकद प्रतिभूति या रिसीवरी का अनुतोष प्राप्त करने एवं अधी.न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने हेतु अपील में अनुतोष चाहा है तथा अपील मीमों में जाहिर किया कि अधी.न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 183 एवं 209 आरटीए लम्बित है जो कब्जा वापसी के साथ अन्य अनुतोष जो वादी पाने की हकदार है दी जाये।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण खरीदशुदा भूमि के ख.न. 7 के बजाय ख.न. 3 पर विक्रेता द्वारा कब्जा सम्भलवाना जाहिर किया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध बेचान दस्तावेज अपीलांट के कथनों के विपरीत प्रमाणित है जिसकी विधिक Remedy प्रथम स्तर पर अपीलांट को अपनी कृषि भूमि की पैमाईश करवा कर यह पता लगाना कानूनी है कि मौके पर एवं रिकार्ड में क्या विभेद है, तहसील में पैमाईश का विधिवत राजकीय शुल्क जमा होने के बाद पैमाईश रिपोर्ट यह प्रमाणित करेगी कि विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार कौन है तथा कब्जा किसका है। अगर शुरू से ही खरीदशुदा आराजी के बजाय अन्य भूमि पर कब्जा प्राप्त किया है तो विधिक Remedy पजीयन विभाग में जरिये शुद्धिपत्र के दस्तावेज पंजीयन करवा रिकार्ड दुरस्ती अपेक्षित है परन्तु खरीदशुदा भूमि पर पैमाईश से प्रमाणित होता है कि दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त है तो कब्जा वापसी का दावा ही संदर्भित है परन्तु अपीलांट द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है तथा अपीलांट Stranger Purchaser होने से खाता

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विभाजन का वाद पेश नहीं करने, रिकार्ड दुरस्ती शुद्धिपत्र विधिक प्रकियाऐं नहीं अपनाने की वजह से नकद प्रतिभूति या रिसीवरी का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)